पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या. 15940/2023

==========

मेसर्स जे. एम. डी. अलॉयज लिमिटेड (10 ए ए ए सी जे 7070 जे 1जेड टी) ग्राम-देवकुली, डाकघर और थाना बिहटा, जिला-पटना, पिन 801103, अपने वाणिज्यिक प्रबंधक और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से, अर्थात् अजय कुमार, जिनकी आयु लगभग 54 वर्ष है, लिंग-पुरुष, पुत्र अदालत प्रसाद, निवासी मोहल्ला आदर्श कॉलोनी, ब्लॉक-ए, बरियार पथ, पोस्ता पार्क, डाकघर जी. पी. ओ., थाना कंकड़बाग, पटना पिन-800020

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. सी. जी. एस. टी. और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मुख्य आयुक्त के माध्यम से भारत संघ, पहली मंजिल, अनुलग्नक-राजस्व भवन, बीर चंद पटेल मार्ग, पटना पिन-800001
2. सी. जी. एस. टी. और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान आयुक्त, पहली मंजिल, अनुलग्नक-राजस्व भवन, बीर चंद पटेल मार्ग, पटना पिन-800001
3. सी. जी. एस. टी. और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त आयुक्त (अपील), पहली मंजिल, अनुलग्नक-राजस्व भवन, बीर चंद पटेल मार्ग, पटना पिन-800001
4. अधीक्षक, सी. जी. एस. टी. और केंद्रीय उत्पाद शुल्क रेंज, अरवल, शांति कुंज, पीतांबर नगर, होटल अनिकेत के पास, बिहटा, पटना पिन 801103

.....प्रतिवादीगण

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता के लिए : श्री विवेका नंद, अधिवक्ता

प्रतिवादीगण के लिए : श्री के. एन. सिंह, अतरिक्त महा न्यायाभिकर्ता

श्री अंशुमन सिंह, वरीय एस सी

==========

अधिनियम/धाराएँ/नियम:

कंपनी अधिनियम, 1956

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के नियम 117, धाराएँ 73, 140

सेनवैट क्रेडिट नियम, 2017 के नियम 2(जी)

सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 37

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944

आयकर अधिनियम, 1961

संदर्भित मामले:

आरएसपीएल लिमिटेड बनाम भारत संघ 2018 में रिपोर्ट किया गया (19) जीएसटीएल 430 (जीयूजे)

रिट याचिका - जीएसटी व्यवस्था के तहत पारगमन में उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के संबंध में सेनवैट क्रेडिट के निर्बाध हस्तांतरण की मांग करने वाली याचिकाकर्ता की अपील को खारिज करने वाले आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई।

सी.इ.एन.भी.ए.टी. क्रेडिट के निर्बाध हस्तांतरण की मांग की थी। कंपनी ने ग्यारह कर चालानों के तहत पूंजीगत वस्तुओं पर सी.इ.एन.भी.ए.टी. शुल्क का भुगतान किया था। हालांकि, सी.जी.एस.टी. अधिकारियों ने संक्रमणकालीन क्रेडिट के दावे को अस्वीकार कर दिया।

निर्णय -

सी.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 140 के तहत आसेसी को बिना उपयोग किए गए सी.इ.एन.भी.ए.टी क्रेडिट को आगे ले जाने और उपयोग करने की सुविधा दी गई है, लेकिन उपधारा (5) पूंजीगत वस्तुओं और इनपुट के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित करती है।

पंजीकृत व्यक्ति को केवल उन इनपुट्स और इनपुट सेवाओं पर करों और शुल्कों का क्रेडिट लेने का अधिकार होगा, जो निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त हुए हैं, बशर्ते कि इनपुट्स पर कर या शुल्क विद्यमान कानून के तहत आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान किया गया हो और इसका चालान या अन्य कर भुगतान दस्तावेज निर्धारित तिथि से 30 दिनों के भीतर खातों की पुस्तकों में दर्ज किया गया हो। (पैराग्राफ 19)

सी.इ.एन.भी.ए.टी. क्रेडिट नियम, 2017 ने सी.इ.एन.भी.ए.टी. क्रेडिट नियम, 2004 को प्रतिस्थापित कर दिया है। जी.एस.टी. अधिनियम और सी.इ.एन.भी.ए.टी. नियम, 2017 के संयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा आर.एस.पी.एल. लिमिटेड मामले में दिए गए निर्णय से अलग कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। (पैराग्राफ 21)

रिट याचिका खारिज की जाती है। (पैराग्राफ 23)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

समक्षः माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय

सी ए वी निर्णय

(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद)

दिनांक 30 -01-2025

यह रिट याचिका निम्नलिखित अनुतोषों कि मांग करते हुए प्रस्तुत की गयी है

"(क) सी. जी. एस. टी. और सी. एक्स., पटना, के अपर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश-अपील संख्या 51/पैट/जी. एस. टी./अपील/2023-24, दिनांक 22.05.2023 को निरस्त करने/अपास्त करने के लिए लाया गया है जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की अपील को खारिज करते हुए, निर्धारित तिथि पर पारगमन मे उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के संबंध में केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर क्रेडिट के निर्बाध हस्तांतरण की मांग करते हुए, अर्थात 01.07.2017, निर्धारित प्रपत्र संक्रमण-1 के माध्यम से, 11 (ग्यारह) अच्छी तरह से पहचाने गए उत्पाद शुल्क चालानों से संबंधित उत्पाद शुल्क के रूप में, जिसमें याचिकाकर्ता ने 8,62,566.00 रुपये की राशि का केंद्रीय मूल्य वर्धित कर शुल्क विधिवत भुगतान किया था और उक्त 11 (ग्यारह) चालानों से संबंधित उक्त उत्पाद शुल्क जुलाई, 2017 के महीने में याचिकाकर्ता के कारखाने परिसर में विधिवत प्राप्त किया गया था, तदनुसार जुलाई 2017 के उसी महीने में याचिकाकर्ता की लेखा पुस्तकों में तुरंत लेखा/पूंजीकृत किया गया था।

(ख) किसी अन्य परिणामी अनुतोष के अनुदान के लिए जिसके लिए याचिकाकर्ता को कानून की नजर में हकदार पाया जाता है।"

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य</u>

2. याचिकाकर्ता कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। यह एमएस-बार्स के विनिर्माण व्यवसाय में लगी है और अपना खाता व्यापारिक/प्रोद्भव प्रणाली के आधार पर बनाए रखती है। यह केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (इसके बाद 'सी. जी. एस. टी. अधिनियम 2017' के रूप में संदर्भित) के अर्थ के भीतर एक 'व्यक्ति' है। याचिकाकर्ता का दावा है कि वह अपने संबंधित पैन आधारित केंद्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण आईडी के अंतर्गत

आवधिक केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिफल दाखिल कर रहा है। वर्तमान जी. एस. टी. व्यवस्था में याचिकाकर्ता को जी. एस. टी. आई. एन. आई. डी. आवंटित की गई है।

3. जून, 2017 के महीने में, याचिकाकर्ता ने पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को पूंजीगत प्रकृति के कुछ सेन्वेटेबल/उत्पाद शुल्क योग्य सामानों की आपूर्ति करने का आदेश दिया, जिनका उपयोग याचिकाकर्ता के कारखाने में अंतिम सैंटिवेबल उत्पाद शुल्क योग्य उत्पाद के निर्माण के लिए किया जाना आवश्यक था। ग्यारह अलग-अलग आपूर्तिकर्ताओं ने जून 2017 के महीने में विभिन्न तिथियों पर ग्यारह अलग-अलग कर चालानों की आड़ में याचिकाकर्ता के कारखाने के परिसर में उनके उपयोग की सम्बंधित प्रकृति का संकेत दिए बिना आवश्यक सेन्वैटबल/उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की खेप भेजी, जिसमें कुल मिलाकर रु8,62,566/- केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर शुल्क लिया गया वे सामान याचिकाकर्ता के कारखाने के परिसर में जुलाई 2017 के महीने में विभिन्न तिथियों पर प्राप्त हुए थे। याचिकाकर्ता स्वीकार करता है कि ग्यारह अलग-अलग कर चालानों के अंतर्गत उसके लेनदेन मूल्य को जुलाई 2017 के महीने में लेखा पुस्तकों में विधिवत दर्ज किया गया है।

4. याचिकाकर्ता ने 20.09.2017 को अपनी जी. एस. टी. आई. एन. आई. डी. में निर्धारित ऑनलाइन विवरणी, अर्थात् टी. आर. ए. एन.-1 दाखिल की और केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर क्रेडिट के सभी स्वीकार्य घटकों का दावा किया। क्षेत्राधिकार रेंज अधीक्षक (प्रत्यर्थी सं. 4) ने रिट आवेदन के अनुलग्नक '3' में निहित उनके दिनांकित 02.08.2019 के पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि उनके रुपये 2,19,18,000/- के दावे के खिलाफ संक्रमण-1 सत्यापन के दौरान, यह पाया गया है कि रुपये का अपात्र क्रेडिट था। 8,62,566/- पारगमन में पूंजीगत वस्तुओं के खिलफसंक्रमण-1 की तालिका संख्या 6 (a) में उनके दावे के खिलाफ। प्रतिवादी संख्या

4 ने याचिकाकर्ता से कार्यालय को सूचित करते हुए उक्त अपात्र क्रेडिट को तत्काल रूप से वापस लेने का अनुरोध किया।

5. याचिकाकर्ता ने अपना जवाब प्रस्तुत किया जो प्रतिवादी संख्या. 4 को संतुष्ट नही किया। दिनांक 23.10.2019 के एक अन्य संचार (अनुलग्नक '4') द्वारा, प्रतिवादी सं. 4 ने याचिकाकर्ता को सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 140 की उप-धारा (2) के साथ सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 के नियम 117 को बताया। उनकी राय थी कि सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 140 (2) के अंतर्गत स्पष्टीकरण के आधार पर, अपरिहार्य केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर क्रेडिट का अर्थ है वह राशि जो विद्यमान कानून के अंतर्गत कर योग्य व्यक्ति द्वारा पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में पहले से प्राप्त केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर क्रेडिट की राशि को केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर क्रेडिट की कुल राशि से घटाने के बाद बची हुई है, जिसके लिए उक्त व्यक्ति विद्यमान कानून के अंतर्गत उक्त पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में हकदार था प्रतिवादी संख्या. 4 ने अपनी राय व्यक्त की कि सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 140 (2) के अंतर्गत, याचिकाकर्ता को 8,62,566/- रुपये की राशि पर संक्रमणकालीन क्रेडिट उपलब्ध नहीं है|

<u>मूल आदेश</u>

6. याचिकाकर्ता को निर्धारित प्रपत्र डी. आर. सी.-1 में एक कारण दर्शाओ नोटिस, जिसमें 8,62,566/- रूपये की ऋण राशि की वसूली को प्रस्तावित करते हुए अनुलग्नक '5' और '5/ए' (रिट याचिका में गलत तरीके से अनुलग्नक '5/ए' और '5/बी' के रूप में टाइप किया गया) के माध्यम से जारी किया गया था। प्रतिवादी संख्या 4 ने अंततः मूल आदेश दिनांक 27.07.2022 (अनुलग्नक '6') को पारित किया। अनुलग्नक '6' के अवलोकन से पता चलेगा कि प्रतिवादी संख्या 4 ने याचिकाकर्ता के बचाव पक्ष के जवाब पर विचार किया है और व्यक्तिगत सुनवाई भी की

है। अपने अंतिम विश्लेषण में, प्रतिवादी संख्या 4 ने यह विचार रखा कि सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 140 (5) एक पंजीकृत व्यक्ति को 'निवेश' या 'निवेश सेवाओं' के संबंध में योग्य कर्तव्यों और कर के क्रेडिट की अनुमति देती है जो नियत दिन या उसके बाद प्राप्त किए गए थे, लेकिन उस दिन नहीं जिस दिन कर का भुगतान पहले किया गया था। इसके अलावा, जब दिनांक 01.07.2017 को या उसके बाद प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं पर भुगतान किए गए शुल्क का क्रेडिट लेने का सवाल आता है, तो मूल्यांकनकर्ता को ऐसी पूंजीगत वस्तुओं पर भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क के क्रेडिट का दावा करने में सक्षम बनाने के लिए कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 4 ने मांग की पुष्टि की और रुपये 8,62,566/- जैसा कि सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत टी. आर. ए. एन.-1 में विस्तृत है, याचिकाकर्ता से धारा 73(9) के अंतर्गत मांग की गई राशि पर लागू दर पर ब्याज और कर राशि के 10 प्रतिशत की दर से जुर्माने की वसूली का आदेश दिया।

<u>अपीलीय आदेश</u>

7. मूल आदेश (अनुलग्नक '6') से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने आयुक्त (अपील), सी. जी. एस. टी. के समक्ष प्रथम अपील दायर की गयी। अपीलीय प्राधिकारी (प्रतिवादी सं. 3) एक बार फिर से उन आधारों पर विचार किया जिन पर अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता को व्यक्तिगत सुनवाई देने के बाद अपील दायर की वरीयता गई थी। उनकी राय में, अपीलार्थी अपने दलीलों को पुष्ट करने में सक्षम नहीं था। अपीलीय प्राधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी की याचिका कि केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर क्रेडिट नियम, 2017 में पूंजीगत वस्तुओं की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन पूंजीगत वस्तुओं को शामिल करने के लिए निवेश की परिभाषा में संशोधन किया गया है, मान्य नहीं है याचिका को याचिका में निहित आदेश के माध्यम से

खारिज कर दिया गया है, जिसकी एक प्रति रिट आवेदन के अनुलग्नक '7' के रूप में संलग्न है।

8. याचिकाकर्ता के पास अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील का एक और उपाय है, लेकिन यह कहा गया है कि अपीलीय न्यायाधिकरण कार्यात्मक नहीं है, और इस मामले में तथ्य का कोई प्रश्न या तथ्यों और कानून का मिश्रित प्रश्न शामिल नहीं है, इसलिए वर्तमान रिट आवेदन को वरीयता दी गई है। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि यह न्यायालय रिट आवेदन को उसके गुण-दोष के आधार पर सुनवाई कर सकती है।

याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुतीकरण

9. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने मूल आदेश (अनुलग्नक '6') और अपीलीय आदेश (अनुलग्नक '7') पर आपत्ति जताई है। एक बार फिर, उनका निवेदन है कि केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर क्रेडिट नियम 2017 के नियम 2 (जी) के अंतर्गत 'निवेश' शब्दों की परिभाषा पूंजीगत वस्तुओं को अपने दायरे में ले लेगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि नीचे दिए गए दोनों अधिकारियों ने गलत दृष्टिकोण अपनाया है और कानून की गलत धारणा के अंतर्गत विवादित आदेश पारित किया है।

भारत संघ की ओर से प्रस्तुतीकरण

10. रिट आवेदन को विद्वान ए. एस. जी. द्वारा चुनौती दी गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि तत्काल मामले में, मुख्य मुद्दा यह है कि 30 जून, 2017 के बाद कारखाने के परिसर में प्राप्त उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर चुकाया गया शुल्क, तत्कालीन विद्यमान कानून से उक्त केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर क्रेडिट नियम, 2017 के नियम 2 (जी) में परिभाषित "निवेश" के माध्यम से जी. एस. टी. कानून व्यवस्था में क्रेडिट के लिए निर्बाध संचरण के लिए पात्र था या नहीं। यह उनका निवेदन है कि पूंजीगत वस्तुओं की परिभाषा को विशिष्ट रूप से हटाने और केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर

क्रेडिट नियम, 2017 में निवेश की बिल्कुल नई परिभाषा की शुरुआत को ध्यान में रखते हुए, पहले के केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर क्रेडिट नियम, 2004, जिसमें पूंजीगत वस्तुओं की परिभाषा शामिल थी, को हटाकर/निरस्त करके, याचिकाकर्ता पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर क्रेडिट के निर्बाध हस्तांतरण का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

11. ए. एस. जी. ने सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 2 (59) और सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 140 (5) में निर्दिष्ट 'निवेश' शब्द की परिभाषा पर भरोसा किया है ताकि यह प्रस्तुत किया जा सके कि निवेश में पूंजीगत वस्तुएं शामिल नहीं हैं और धारा 140 (5) को देखते हुए याचिकाकर्ता को संक्रमणकालीन ऋण प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। संक्रमणकालीन ऋण केवल 'निवेश' के लिए उपलब्ध होगा न कि 'पूंजीगत वस्तुओं' के लिए। उनके अनुसार, निवेश और पूंजीगत वस्तुओं के बीच एक स्पष्ट सीमांकन है।

12. यह प्रस्तुत किया जाता है कि **आर. एस. पी. एल. लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में** माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष **2018 (19) जी. एस. टी. एल. 430 (जीयूजे)** में रिपोर्ट किये गये मामले में एक समान प्रश्न विचार के लिए आया था। गुजरात उच्च न्यायालय की माननीय खंड पीठ ने स्पष्ट रूप से राय दी है कि सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 140 की उप-धारा (5) एक पंजीकृत व्यक्ति को निर्धारित दिन या उसके बाद प्राप्त निवेश या निवेश सेवाओं के संबंध में योग्य कर्तव्यों और कर के क्रेडिट की अनुमति देती है, लेकिन जिस दिन कर का भुगतान पहले किया गया था। पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित किसी भी समान प्रावधान के अभाव में, ऐसी स्थिति में जहां निर्धारित तिथि से पहले माल की खरीद पर शुल्क का भुगतान किया गया था, लेकिन माल निर्धारित तिथि को या उसके बाद प्राप्त

किया गया था, जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे करों पर क्रेडिट का लाभ उठाने की कोई संभावना नहीं होगी।

13. यह भी सूचित किया जाता है कि मेसर्स आर. एस. पी. एल. लिमिटेड ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) दैनन्दिनी संख्या 8350/2019 को वरीयता दी थी। उक्त विशेष अनुमति याचिका को दिनांक 05.04.2019 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। अतः यह प्रस्तुत किया जाता है कि रिट आवेदन योग्यता से रहित है और इसे खारिज किया जा सकता है।

<u>विचारणीय</u>

14. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और भारत संघ के विद्वान ए. एस. जी. को विस्तार से सुना है। तथ्य विवाद में नही हैं। याचिकाकर्ता स्वीकार करता है कि कंपनी के कारखाने के परिसर में प्राप्त माल पूंजीगत सामान हैं। उनका तर्क है कि केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर क्रेडिट नियम, 2017 के नियम 2 (जी) के अंतर्गत "निवेश" की परिभाषा में निवेश प्रकृति या पूंजीगत वस्तुओं की प्रकृति का कोई भी या सभी उत्पाद शुल्क योग्य सामग्री शामिल होंगे। उनके तर्क की जांच करने के लिए, यह न्यायालय संक्षेप में उन वैधानिक प्रावधानों पर ध्यान देगा जो जी. एस. टी. कानूनों (01.03.2017 से पहले) के लागू होने से पहले मौजूद थे और जिन्हें पूंजीगत वस्तुओं पर निवेश पर भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क के क्रेडिट के संबंध में जी. एस. टी. कानून के अंतर्गत 07.07.2017 से प्रभावी किया गया था। 01.07.2017 से पहले, एक निर्माता निवेश के साथ-साथ विनिर्माण प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली पूंजीगत वस्तुओं पर उसके द्वारा भुगतान किए गए शुल्क पर केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर क्रेडिट का दावा करने का हकदार था, हालांकि, उन शर्तों के अधीन जो केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर क्रेडिट नियम, 2004 में रखी गई थीं। यह समझने में कोई कठिनाई नहीं है कि

विनिर्माताओं को निवेश के साथ-साथ पूंजीगत वस्तुओं पर भुगतान किए गए शुल्क के क्रेडिट का दावा करने की सुविधा 01.07.2017 के बाद भी जारी रही, लेकिन कुछ संशोधनों के साथ। सी. जी. एस. टी. अधिनियम में संक्रमणकालीन प्रावधान था जिसके अनुसार अप्रयुक्त केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर क्रेडिट जी. एस. टी. व्यवस्था में लाए जाने के योग्य था। क़ानून ने निर्धारिती को निवेश पर भुगतान किए गए शुल्क के क्रेडिट का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए प्रावधान किए, जो दिनांक 01.07.2017 तक पारगमन में थे। लेकिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 37 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर बनाए गए केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर क्रेडिट नियम, 2017 के अंतर्गत, निर्धारिती को ऐसी पूंजीगत वस्तुओं पर भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क के क्रेडिट का दावा करने में सक्षम बनाने के लिए कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई है।

15. इस न्यायालय ने सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 और केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर क्रेडिट नियम, 2017 के विभिन्न प्रावधानों का अध्ययन किया है। इस विषय पर कानून का एक संक्षिप्त इतिहास इस न्यायालय को पूर्ववर्ती केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 (इसके बाद '1944 के नियम' के रूप में संदर्भित) की ओर ले जाएगा। नियम 57 (क्यू) को 1944 के नियमों में दिनांक 01.03.1994 की अधिसूचना के माध्यम से प्रविष्ट किया गया था और नियम 57 (क्यू) के उप-नियम (1) में पहली बार किसी निर्माता द्वारा अपने कारखाने में उपयोग किए जाने वाले पूंजीगत सामान पर शुल्क का लाभ दिया गया था ताकि उसके अंतिम उत्पाद पर देय उत्पाद शुल्क का भुगतान किया जा सके। "पूंजीगत वस्तु" शब्द को परिभाषित किया गया था, हालांकि, नियम 57 (क्यू) के उप-नियम (2) के एक परंतुक में यह स्पष्ट किया गया था कि उप-नियम (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, पूंजीगत वस्तुओं पर भुगतान किए गए निर्दिष्ट शुल्क के किसी भी क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि ऐसे शुल्क का

भुगतान मार्च, 1994 के पहले दिन से पहले ऐसे पूंजीगत वस्तुओं पर किया गया है। इस तरह, कारखाने में एक निर्माता द्वारा उपयोग की जाने वाली पूंजीगत वस्तुओं पर भुगतान किए गए निर्दिष्ट शुल्क को अपने शुल्क दायित्व के निर्वहन में उपयोग करने की सुविधा की शुरुआत की गई थी, लेकिन लाभ केवल उन शुल्कों तक सीमित था जो 01.03.1994 के बाद ऐसी पूंजीगत वस्तुओं पर भुगतान किए गए थे।

16. "पूंजीगत वस्तु" शब्द की परिभाषा केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 2 (ए) में भी पाई गई है। नियम '3' के उप-नियम (1) में यह प्रावधान किया गया है कि अंतिम उत्पादों के निर्माता या क्रेता उत्पादन सेवा प्रदाता हैं, उन्हें अंतिम उत्पाद के निर्माता के कारखाने में या उत्पादन सेवा प्रदाता द्वारा या सितंबर, 2004 के दसवें दिन के बाद प्राप्त किसी भी निवेश या पूंजीगत वस्तु पर भुगतान किए गए खंड (i) से (xi) में निर्दिष्ट विभिन्न शुल्कों के केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर क्रेडिट का दावा करने की अनुमति दी जाएगी। इसने यह भी प्रावधान किया कि अंतिम उत्पाद के निर्माता या उत्पादन सेवा प्रदाता द्वारा उक्त तिथि को या उसके बाद प्राप्त कोई भी निवेश सेवा क्रेडिट लेने के लिए पात्र हो सकती है। इस न्यायालय ने आगे पाया कि सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (19) "पूंजीगत वस्तुओं" को उन वस्तुओं के अर्थ में परिभाषित करती है, जिनका मूल्य निवेश कर क्रेडिट का दावा करने वाले व्यक्ति के खाते की खाता बही में पूंजीकृत किया जाता है और जिनका उपयोग व्यवसाय के दौरान या आगे बढ़ाने में किया जाता है या उपयोग करने का इरादा होता है। 'निवेश' शब्द को धारा 2 (59) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ किसी व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने में आपूर्तिकर्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली पूंजीगत वस्तुओं के अलावा कोई भी वस्तु है। 'निवेश कर' शब्द को धारा 2 (62) के अंतर्गत भी परिभाषित किया गया है। इसका अर्थ किसी पंजीकृत व्यक्ति को दी गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के किसी भी आपूर्तिकर्ता पर प्रभारित केंद्रीय कर, राज्य

कर, एकीकृत कर या केंद्र शासित प्रदेश कर है और इसमें खंड (ए) से (ई) में निर्दिष्ट कई कर शामिल होंगे। फिर से 'निवेश कर क्रेडिट' शब्द को धारा 2 (63) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है निवेश कर का क्रेडिट। ऊपर वर्णित परिभाषाओं को आसान संदर्भ के लिए नीचे प्रस्तुत किया जा रहा हैः दस्तावेजों की सूची

> "**2(19)** "पूंजीगत वस्तुओं" से ऐसी वस्तुएं अभिप्रेत हैं, जिनका मूल्य निवेश कर क्रेडिट का दावा करने वाले व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में पूंजीकृत है और जिनका उपयोग व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने में किया जाता है या जिनका उपयोग किये जाने के लिए आशयित है;
>
> **2(59)** ""निवेश" से पूंजीगत वस्तुओं के अलावा कोई अन्य वस्तु अभिप्रेत है जिसका उपयोग या उपयोग किसी आपूर्तिकर्ता द्वारा व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है या किया जाना अपेक्षित है।
>
> **2(62)** "किसी पंजीकृत व्यक्ति के संबंध में "निवेश कर" का अर्थ है केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या केंद्र शासित प्रदेश कर जो उसे की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाता है और इसमें शामिल हैं -
>
> (क) वस्तुओं के आयात पर लगाया जाने वाला एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर,
>
> (ख) धारा 9 की उप-धारा (3) और (4) के प्रावधानों के अंतर्गत देय कर,
>
> (ग) एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) और (4) के प्रावधानों के अंतर्गत देय कर,
>
> (घ) संबंधित राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) के प्रावधानों के अंतर्गत देय कर, या
>
> (ङ) केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) के प्रावधानों के अंतर्गत देय कर,
>
> लेकिन इसमें संयोजन शुल्क के अंतर्गत भुगतान किया गया कर शामिल नहीं है।
>
> **2(63)** "निवेश कर क्रेडिट "का अर्थ है निवेश कर का क्रेडिट।

17. सी. जी. एस. टी. अधिनियम में धारा 140 के अंतर्गत संक्रमणकालीन प्रावधान भी शामिल हैं। यह निवेश कर क्रेडिट के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं के लिए प्रासंगिक है। सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 140 को सुलभ संदर्भ के लिए यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा हैः दस्तावेजों की सूची

> **"धारा 140: निवेश कर क्रेडिट के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्था -**
>
> (1) धारा 10 के अंतर्गत कर का भुगतान करने का विकल्प देने वाले व्यक्ति के अलावा, एक पंजीकृत व्यक्ति अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में, नियत दिन से ठीक पहले के दिन को समाप्त होने वाली अवधि से सम्बंधित प्रतिफल में आगे बढाये गये केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर क्रेडिट [1][पात्र शुल्को की] की राशि लेने का हकदार होगा,जो उसके द्वारा विद्यमान कानून के अंतर्गत [2][ऐसे समय के भीतर और] ऐसे तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है जैसा की निर्धारित किया जा सकता हैः
>
> बशर्ते कि पंजीकृत व्यक्ति को निम्नलिखित परिस्थितियों में क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, अर्थात्ः
>
> (क) जहां उक्त क्रेडिट राशि इस अधिनियम के अंतर्गत निवेश कर क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं है; या
>
> (ख) जहां उसने नियत तिथि से ठीक पहले छह महीने की अवधि के लिए विद्यमान कानून के अंतर्गत आवश्यक सभी प्रतिफल प्रस्तुत नहीं किये हैं; या
>
> (ग) जहां ऋण की उक्त राशि सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी छूट अधिसूचनाओं के अंतर्गत निर्मित और निकासी किये गए वस्तुओं से संबंधित है।
>
> (2) धारा 10 के अंतर्गत कर का भुगतान करने का विकल्प देने वाले व्यक्ति के अलावा, एक पंजीकृत व्यक्ति, अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में, पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में अपरिहार्य केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर क्रेडिट का क्रेडिट लेने का हकदार होगा, जो उसके द्वारा वर्तमान कानून के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए प्रतिफल में आगे नहीं उठाया गया है, नियत दिन से तुरंत पहले के दिन के

साथ समाप्त होने वाली अवधि के लिए, [3][ऐसे समय के भीतर और] ऐसे तरीके से जो निर्धारित किया जा सकता है:

बशर्ते कि पंजीकृत व्यक्ति को क्रेडिट लेने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उक्त क्रेडिट विद्यमान कानून के अंतर्गत केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य न हो और इस अधिनियम के अंतर्गत निवेश कर क्रेडिट के रूप में भी स्वीकार्य न हो।

1. 2018 के अधिनियम 31, द्वारा अंत:स्थापित धारा 28 (डब्ल्यू. आर. ई. एफ. 1-7-2017)
2. 2020 के अधिनियम 12 द्वारा अंतःस्थापित, धारा 128 (ए) (डब्ल्यू. ई. एफ. 18-5-2020)
3. 2020 के अधिनियम 12, धारा 128 (बी) (डब्ल्यू. ई. एफ. 18-5-2020)

स्पष्टीकरण—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "अप्रयुक्त केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर क्रेडिट" से वह राशि अभिप्रेत है जो विद्यमान कानून के अंतर्गत कर योग्य व्यक्ति द्वारा पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में पहले से प्राप्त केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर क्रेडिट की राशि को केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर क्रेडिट की कुल राशि से घटाने के पश्चात् शेष बचती है, जिसके लिए उक्त व्यक्ति विद्यमान विद्यमान कानून के अंतर्गत उक्त पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में हकदार था।

(3) एक पंजीकृत व्यक्ति, जो विद्यमान कानून के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं था, या जो छूट प्राप्त वस्तुओं के विनिर्माण या छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान में लगा हुआ था, या जो निर्माण अनुबंध सेवा प्रदान कर रहा था और अधिसूचना संख्या 26/2012-सेवा कर, 20 जून, 2012 का लाभ उठा रहा था, या प्रथम चरण का वितरक या द्वितीय चरण का वितरक या पंजीकृत आयातक या निर्माता का डिपो, अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में, स्टॉक में रखे गए निवेश और अर्ध-तैयार या तैयार माल में निहित निवेश के संबंध में योग्य शुल्कों का क्रेडिट लेने का हकदार होगा। नियत दिन पर, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जो निर्धारित किया जा सकता है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, अर्थात्:—

(i) इस अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य आपूर्ति करने के लिए ऐसे निवेश या वस्तुओं का उपयोग किया जाता है या उपयोग करने का इरादा है;

(ii) उक्त पंजीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे निवेश पर निवेश कर क्रेडिट के लिए पात्र है;

(iii) उक्त पंजीकृत व्यक्ति के पास चालान या अन्य निर्धारित दस्तावेज हैं जो ऐसे निवेश के संबंध में विद्यमान कानून के अंतर्गत शुल्क के भुगतान का प्रमाण देते हैं।

(iv) ऐसे चालान या अन्य निर्धारित दस्तावेज नियत दिन से ठीक पहले बारह महीने से पहले जारी नहीं किए गए थे; और

(v) सेवाओं का आपूर्तिकर्ता इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी छूट के लिए पात्र नहीं हैः

बशर्ते कि जहां एक निर्माता या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के अलावा, पंजीकृत व्यक्ति के पास एक चालान या निवेश के संबंध में शुल्क के भुगतान का प्रमाण देने वाले कोई अन्य दस्तावेज के कब्जे में नहीं है, तो ऐसा पंजीकृत व्यक्ति को

1. 2020 के अधिनियम 12, धारा 128 (सी) द्वारा प्रतिस्थापित, "नियत दिन पर स्टॉक में रखी गई वस्तुओं के लिए" (2020 से) 18-5-2020)

शर्तों, सीमाओं और सुरक्षा उपायों के अधीन रहते हुए जैसा की निर्धारित किया जा सकता है, जिसमें यह भी शामिल है कि उक्त कराधीन व्यक्ति कम कीमतों के माध्यम से ऐसे ऋण का लाभ प्राप्तकर्ता कोकम कीमतों के मध्यं से देगा, उसे ऐसे दर पर और ऐसे तरीके से ऋण लेने की अनुमति दी जाएगी जो निर्धारित की जा सकता है।

(4) कोई पंजीकृत व्यक्ति, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अंतर्गत कर योग्य और छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण में लगा हुआ था या वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) के अध्याय 5 के अंतर्गत कर योग्य और छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान में लगा हुआ था, लेकिन जो इस अधिनियम

के अंतर्गत कर के लिए उत्तरदायी हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में लेने का हकदार होगा,-

(क) उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार विद्यमान कानून के अंतर्गत प्रस्तुत विवरणीप्रतिफल में उसके द्वारा अग्रनित सेनवेट क्रेडिट की राशि; और

(ख) उप-धारा (3) के उपबंधों के अनुसार, ऐसी छूट प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं से संबंधित, नियत दिन पर स्टॉक में रखे गए अर्ध-तैयार या तैयार माल में निहित निवेश और निवेश के संबंध में योग्य शुल्कों के लिए केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर क्रेडिट की राशि।

(5) एक पंजीकृत व्यक्ति अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में, निर्धारित दिन या उसके बाद प्राप्त निवेश या निवेश सेवाओं के संबंध में योग्य शुल्कों और करों का क्रेडिट लेने का हकदार होगा, लेकिन जिसके संबंध में शुल्क या कर का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा [1][विद्यमान कानून, ऐसे समय के भीतर और ऐसी तरीके से किया गया है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है] के अंतर्गत, इस शर्त के अधीन कि चालान या उसका कोई अन्य शुल्क या कर भुगतान दस्तावेज निर्धारित दिन से तीस दिनों की अवधि के भीतर ऐसे व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया थाः

बशर्ते कि तीस दिनों की अवधि, पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर, आयुक्त द्वारा तीस दिनों से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगाः

आगे यह भी प्रावधान है कि उक्त पंजीकृत व्यक्ति इस उप-धारा के अंतर्गत लिए गए ऋण के संबंध में, ऐसी तरीके से, जो विहित की जाए, एक विवरण प्रस्तुत करेगा।

(6) कोई पंजीकृत व्यक्ति, जो या तो एक निश्चित दर पर कर का भुगतान कर रहा था या विद्यमान कानून के अंतर्गत देय कर के बदले में एक निश्चित राशि का भुगतान कर रहा था,

1. "विद्यमान कानून" के लिए 2020 के अधिनियम 12, धारा 128 (डी) द्वारा प्रतिस्थापित (डब्ल्यू. ई. एफ. 18-5-2020)

अपने इलेक्ट्रॉनिक ऋण खाते में, स्टॉक में रखे गए निवेशों और अर्ध-तैयार या तैयार माल में निहित निवेशों के संबंध में पात्र शुल्कों का क्रेडिट लेने का हकदार होगा, [2][नियत दिन को स्टॉक में रखे गये माल ऐसे समय के भीतर और ऐसी तरीके से जो निर्धारित किया जा सके, निम्नलिखित शर्तों के अधीन], अर्थात्ः—

(i) ऐसे निवेश या वास्तु का उपयोग इस अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य आपूर्ति करने के लिए किया जाता है या उपयोग करने का इरादा है;

(ii) उक्त पंजीकृत व्यक्ति धारा 10 के अंतर्गत कर का भुगतान नहीं कर रहा है।

(iii) उक्त पंजीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे निवेश पर निवेश कर क्रेडिट के लिए पात्र है।

(iv) उक्त पंजीकृत व्यक्ति के पास चालान या अन्य निर्धारित दस्तावेज हैं जो निवेश के संबंध में विद्यमान कानून के अंतर्गत शुल्क के भुगतान का प्रमाण देते हैं; और

(v) ऐसे चालान या अन्य निर्धारित दस्तावेज नियत दिन से ठीक पहले बारह महीने से पहले जारी नहीं किए गए थे।

(7) इस अधिनियम में इसके विपरीत कुछ भी निहित होने के बावजूद भी, एक निवेश सेवा वितरक द्वारा नियत दिन से पहले प्राप्त किसी भी सेवा के कारण निवेश कर क्रेडिट, [3][इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे समय के भीतर और ऐसे तरीके से, जो निर्धारित किया जा सके], वितरण के लिए पात्र होगा, भले ही ऐसी सेवाओं से संबंधित चालान नियत दिन या उसके बाद प्राप्त किए गए हों।

(8) जहां विद्यमान विधि के अंतर्गत केंद्रीकृत पंजीकरण रखने वाले किसी पंजीकृत व्यक्ति ने इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण प्राप्त किया है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में, वर्तमान कानून के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए प्रतिफल में आगे की गई केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर क्रेडिट की राशि का क्रेडिट लेने की अनुमति दी जाएगी, जो नियत दिन से ठीक पहले के दिन

के साथ समाप्त होने वाली अवधि के संबंध में [1][ऐसे समय के भीतर और इस तरह से] जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है:

बशर्ते कि यदि पंजीकृत व्यक्ति नियत दिन के तीन महीने के भीतर नियत दिन के तुरंत पहले वाले दिन को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपनी विवरणी प्रस्तुत करता है, तो इस तरह के क्रेडिट की अनुमति इस शर्त के अधीन अनुज्ञात की जाएगी कि उक्त प्रतिफल या तो

2. 2020 के अधिनियम 12, धारा 128 (ई) द्वारा प्रतिस्थापित, "नियत दिन पर स्टॉक में रखी गई वस्तुओं के लिए" (2020 से)। 18-5-2020)

3. 2020 के अधिनियम 12, धारा 128 (च) द्वारा "इस अधिनियम के अंतर्गत ऋण भले ही हो" के लिए प्रतिस्थापित किया गया है। 18-5-2020)

1. 2020 के अधिनियम 12, धारा 128 (छ) द्वारा प्रतिस्थापित, "इस तरह से" के लिए (से 18-5-2020)

मूल प्रतिफल या एक संशोधित प्रतिफल जहां क्रेडिट को पहले किए गए दावे से कम कर दिया गया हैः

आगे यह भी प्रावधान है कि पंजीकृत व्यक्ति को क्रेडिट लेने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उक्त राशि इस अधिनियम के अंतर्गत निवेश कर क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य न होः

बशर्ते कि इस तरह के क्रेडिट को किसी भी पंजीकृत व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है, जिसके पास वही स्थायी खाता संख्या है जिसके लिए विद्यमान कानून के अंतर्गत केंद्रीकृत पंजीकरण प्राप्त किया गया था।

(9) जहां विद्यमान कानून के अंतर्गत प्रदान की गई निवेश सेवाओं के लिए प्राप्त किसी भी केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर क्रेडिट को तीन महीने की अवधि के भीतर प्रतिफल का भुगतान न करने के कारण उलट दिया गया है, ऐसे [2][क्रेडिट को उस समय के भीतर और उस तरीके से पुनः प्राप्त किया जा सकता है जो निर्धारित किया जा सकता है] इस शर्त के अधीन कि पंजीकृत व्यक्ति ने निर्धारित दिन से तीन महीने की अवधि के भीतर सेवाओं की उस आपूर्ति के लिए प्रतिफल का भुगतान कर दिया है।

(10) उप-धारा (3), (4) और (6) के अंतर्गत ऋण राशि की गणना ऐसी तरीके से की जाएगी जैसी विहित की जाए ।

*स्पष्टीकरण*1.- [3][उप-धारा (1), (3), (4)] और (6) के प्रयोजनों के लिए, "पात्र कर्तव्यों " से तात्पर्य है -

(i) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 के अंतर्गत लगाये जाने योग्य अतिरिक्त उत्पाद शुल्क;

(ii) सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत लगाये जाने योग्य अतिरिक्त शुल्क;

(iii) सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (5) के अंतर्गत लगाये जाने वाले अतिरिक्त शुल्क;

[4][***]

(v) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट उत्पाद शुल्क;

(vi) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क; और

(vii) स्टॉक और निवेश में रखे गए निवेश के संबंध में वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की धारा 136 के अंतर्गत देय राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क।

2. 2020 के अधिनियम 12, धारा 128 (एच) द्वारा प्रतिस्थापित, "ऋण को इसके अधीन पुनः प्राप्त किया जा सकता है" (डब्ल्यू.ई.एफ. 18-5-2020)

3. 2018 के अधिनियम 31, धारा 28 द्वारा "उप-धारा (3), (4)" (डब्ल्यू.आर.ई.एफ.) के लिए प्रतिस्थापित 1-7-2017)

4. क्ल. (iv) 2018 के अधिनियम 31, धारा 28 (डब्ल्यू.आर.ई.एफ.) द्वारा हटा दिया गया। 1-7-2017)

नियत दिन स्टॉक में रखे गए निवेश और अर्ध-तैयार या तैयार माल में निहित निवेश के सम्बन्ध में ।

स्पष्टीकरण 2.- [1][उप-धारा (1) और (5)] के प्रयोजनों के लिए, "पात्र शुल्क और कर" से तात्पर्य है -

(i) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 के अंतर्गत लगाये जाने वाले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क;

(ii) सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत उद्ग्राहय अतिरिक्त शुल्क;

(iii) सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (5) के अंतर्गत उद्ग्राहय अतिरिक्त शुल्क;

[2][***]

(v) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क;

(vi) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क;

(vii) वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की धारा 136 के अंतर्गत देय राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क; और

(viii) वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 66-बी के अंतर्गत देय सेवा कर,

नियत दिन या उसके बाद प्राप्त निवेश और निवेश सेवाओं के संबंध में।

[3][स्पष्टीकरण 3--संदेहों को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि "पात्र शुल्क और कर" अभिव्यक्ति में कोई भी उपकर शामिल नहीं है जिसे स्पष्टीकरण 1 या स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट नहीं किया गया है और कोई भी उपकर जो सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अतिरिक्त सीमा शुल्क के रूप में एकत्र किया जाता है।]

यह खंड विद्यमान कानून के अंतर्गत उपलब्ध निवेश कर क्रेडिट को आगे बढ़ाने के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्था प्रदान करता है। (खंडों पर टिप्पणियाँ)

18. उपरोक्त चर्चाओं से यह स्पष्ट है कि जी. एस. टी. व्यवस्था भी इसी सुविधा के साथ जारी रहीहैं, हालांकि अलग प्रारूप में

1. "उप-धारा (5)"(डब्ल्यू.आर.ई.एफ.) के लिए 2018 के अधिनियम 31, धारा 28 द्वारा प्रतिस्थापित। 1-7-2017)

2. ख. (iv) ख. (iv) (डब्ल्यू.आर.ई.एफ.) के लिए 2018 के अधिनियम 31, धारा 28 द्वारा हटा दिया गया। 1-7-2017) अपनी चूक से पहले, क्ल.(iv) निम्नानुसार पढ़ा गयाः-"((iv) उत्पाद शुल्क (वस्त्र और वस्त्र वस्तु) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 के अंतर्गत अधिरोपित अतिरिक्त उत्पाद शुल्क।

3. 2018 के अधिनियम 31, धारा 28 (डब्ल्यू.आर.ई.एफ.) द्वारा सम्मिलित किया गया। 1-7-2017)

जी. एस. टी. अधिनियम के अंतर्गत पूंजीगत वस्तुओं या निवेशों पर भुगतान किए गए शुल्क के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है। धारा 16 की उप-धारा (1) प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को, निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, उसे वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की किसी भी आपूर्ति पर लगाए गए निवेश कर का क्रेडिट लेने की अनुमति देती है। 'निवेश कर' शब्द को किसी पंजीकृत व्यक्ति को वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की किसी भी आपूर्ति पर लगाए जाने वाले विभिन्न करों के लिए परिभाषित किया गया है। धारा 16 की उप-धारा (3) को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत पूंजीगत वस्तुओं या संयंत्र और मशीनरी की लागत के कर घटक के मूल्यह्रास के दावे के लिए प्रावधान करता है और यदि ऐसा दावा किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किया गया है, तो ऐसे कर घटक पर निवेश कर क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जाएगी। धारा 17 की उप-धारा (1) और (2) कर क्रेडिट के प्रतिबंध से संबंधित है जब माल या सेवाओं का उपयोग आंशिक रूप से व्यावसायिक उद्देश्य के लिए और आंशिक रूप से अन्य उद्देश्यों के लिए या आंशिक रूप से कर योग्य आपूर्ति करने के लिए और आंशिक रूप से गैर-कर योग्य आपूर्ति के लिए किया जाता है, ये प्रावधान पूंजीगत वस्तुओं और निवेशों के बीच कोई अंतर नहीं करते हैं।

19. संक्रमणकालीन अवधि के दौरान पूंजीगत वस्तुओं पर केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर क्रेडिट का लाभ देने के मामले में अंतर सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 140 में पाया जा सकता है। जबकि यह प्रावधान एक करदाता को निवेश के साथ-साथ पूंजीगत वस्तुओं पर भुगतान किए गए अप्रयुक्त केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर क्रेडिट को आगे ले जाने और क्रेडिट लेने में सक्षम बनाता है। प्रावधानों में निहित शर्तों के अधीन रहते हुए, धारा 140 की उप-धारा (5) पूंजीगत वस्तुओं और निवेश के बीच अंतर करती है। यह प्रावधान करता है कि एक पंजीकृत व्यक्ति निर्धारित तिथि को या उसके बाद प्राप्त निवेश या निवेश सेवाओं के संबंध में पात्र शुल्क और करों का क्रेडिट लेने का हकदार होगा, लेकिन कर पर शुल्क जिसके संबंध में आपूर्तिकर्ता द्वारा विद्यमान कानून के अंतर्गत भुगतान किया गया है, इस शर्त के अधीन कि चालान या उसका कोई अन्य शुल्क या कर भुगतान दस्तावेज निर्धारित तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर ऐसे व्यक्ति की लेखा पुस्तिकाओं में दर्ज किया गया था।

20. आर. एस. पी. एल. लिमिटेड *(उपरोक्त)* के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय की माननीय खंड पीठ के समक्ष एक समान प्रश्न विचार के लिए आया था। फैसले को पढ़ने से पता चलता है कि गुजरात उच्च न्यायालय की माननीय खंड पीठ द्वारा इस विषय पर बहुत स्पष्ट रूप से विधि पर चर्चा की गई है। **आर. एस. पी. एल. लिमिटेड** *(उपरोक्त)* के मामले में निर्णय के पैराग्राफ '17', '18', '19' और '20' को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः

> "**17.** इस प्रकार बहुत स्पष्ट रूप से धारा 140 की उप-धारा (5) एक पंजीकृत व्यक्ति को, निर्धारित दिन या उसके बाद प्राप्त किए गए निवेश या निवेश सेवाओं के संबंध में कर्तव्यों और कर के क्रेडिट की अनुमति देती है, लेकिन जिस दिन कर का भुगतान पहले किया गया था। किसी भी मिलान के अभाव में पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित प्रावधान, ऐसी स्थिति में जहां नियत दिन से पहले माल की खरीद पर शुल्क का भुगतान किया गया था, लेकिन माल नियत

दिन या उसके बाद प्राप्त किया गया था, जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे कर पर क्रेडिट का लाभ उठाने की कोई संभावना नहीं होगी।

18. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस सीमित सीमा तक, सी. जी. एस. टी. अधिनियम ने पूंजीगत वस्तुओं और निवेश के बीच अंतर किया है। सवाल यह है कि क्या यह सीमांकन गैरकानूनी है? जैसा कि उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता के तर्क का आधार यह था कि यह पूंजीगत वस्तुओं और निवेश के बीच एक कृत्रिम अंतर बनाता है जिसका प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है। याचिकाकर्ता का सहायक तर्क था कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि ऐसा भेद क्यों किया जाना चाहिए था। दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों ने तर्क दिया था कि भुगतान किए गए शुल्क पर ऋण देना रियायत की प्रकृति में है। वैध कारण से, कुछ मामलों में ऐसी रियायत दिए बिना हमेशा कानून बनाया जा सकता है।

19. विधायिका, जैसा कि हमने पहले हीं बताया है, जब पारगमन में वस्तुओं पर भुगतान किए गए शुल्कों के क्रेडिट का लाभ उठाने की बात आती है, तो पूंजीगत वस्तुओं और निवेश के बीच एक स्पष्ट और सचेत सीमांकन किया जाता है। जब संपूर्ण कर संरचना को जी. एस. टी. प्रावधानों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा था, तो संक्रमणकालीन व्यवस्था करने की आवश्यकता पैदा होगी। सी. जी. एस. टी. अधिनियम के अध्याय XX में, जैसा कि उल्लेख किया गया है, संक्रमण के प्रावधान शामिल हैं। उक्त अध्याय में निहित धारा 140 निवेश कर क्रेडिट के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं के लिए विस्तृत प्रावधान करती है। विवादों के अधीन और निर्धारित तरीके से, अप्रयुक्त कर क्रेडिट को जी. एस. टी. व्यवस्था में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यह धारा एक पंजीकृत व्यक्ति को निर्धारित दिन से पहले भुगतान किए गए शुल्क के श्रेय का दावा करने में भी सक्षम बनाएगी, भले ही निवेश निर्धारित दिन के बाद प्राप्त किया जा सकते हैं। धारा पारगमन में पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में जानबूझकर ऐसी कोई सुविधा प्रदान नहीं करता है। यह सीमांकन अपने आप में कृत्रिम, मनमाना या

किसी भी तरह से भेदभावपूर्ण नहीं होगा। विनिर्माण प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली पूंजीगत वस्तुओं और निवेशों के साथ हमेशा अलग तरीके से व्यवहार किया गया है और पहले के कानूनों के अंतर्गत अलग व्यवहार किया गया है। इसलिए यदि विधायिका की राय थी कि पारगमन में पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में, निर्धारित तिथि से पहले भुगतान किए गए शुल्क को जी. एस. टी. व्यवस्था में क्रेडिट के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है, तो हम यह नहीं पाते हैं कि अंतर किसी भी तरह से कृत्रिम या मनमाना है।

20. अनुच्छेद 14 जैसा कि सर्वविदित है, वर्ग विधान को प्रतिबंधित करता है लेकिन उचित वर्गीकरण पर नहीं। संविधान के अनुच्छेद 14 के संदर्भ में भेदभाव के तत्व को लाने के लिए, याचिकाकर्ता पर यह स्थापित करने की जिम्मेदारी होगी कि जिन व्यक्तियों या चीजों के साथ अलग व्यवहार किया जाता है, वे एक सजातीय वर्ग का निर्माण करते हैं। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता की शिकायत या असंतोष का स्रोत यह है कि निवेश और पूंजीगत वस्तुओं के साथ अलग-अलग व्यवहार किया जाता है। जब हम पाते हैं कि निवेश और पूंजीगत वस्तुएं अलग-अलग और विशिष्ट वर्ग बनाती हैं, तो उपवर्गीकरण या कृत्रिम सीमांकन का सवाल ही नहीं उठेगा। पारगमन में पूंजीगत वस्तुओं के साथ अलग व्यवहार करने के लिए प्रतिवादीगण द्वारा दायर उत्तर में हलफनामे में उद्धृत आधारों में से एक यह है कि पूंजीगत वस्तुएं आमतौर पर धीमी गति से चलने वाली वस्तुएं होती हैं। इस तरह के हलफनामे में इस शब्द का विस्तार से वर्णन नहीं किया जाता है। हालाँकि, हमारे लिए यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण का सुझाव यह है कि निवेश के विपरीत, पूंजीगत सामान जो संयंत्र और यंत्र समूह की प्रकृति में हो सकते हैं, जिनमें अत्यधिक परिष्कृत विशेष रूप से अभिकल्पित की गई और निर्मित यंत्र शामिल हैं, निर्माताओं द्वारा आदेश दिए जाने के बाद वितरण और स्थापना में बहुत अधिक समय लग सकता है और विधायिका कर क्रेडिट के स्थानांतरण और

लंबित दावों के मुद्दों को अनिश्चित काल के लिए खुल रखने की इच्छुक नहीं थी।

21. इस न्यायालय ने पाया है कि केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर क्रेडिट नियम, 2017 ने केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर क्रेडिट नियम, 2004 का स्थान ले लिया है और जी. एस. टी. अधिनियम और केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर नियम, 2017 के प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने से **आर. एस. पी. एल. लिमिटेड** *(उपरोक्त)* के मामले में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय से कोई अलग दृष्टिकोण रखने की गुंजाइश नहीं बची है।

22. हमें दिनांकित 27.07.2022 (अनुलग्नक '6') और 25.05.2023 (अनुलग्नक '7') के अपास्त आदेशो में कोई त्रुटि नहीं मिलती है।

23. इस रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं है। इसे तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ति)

(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)

ऋषि/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।